राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन राज., जयपुर

क्रमांकः एफ.वी.12(6–अ)ऐपिडी/वैक्सीनेशन/अभियान/पार्ट/2015/2022 दिनांक : 30-5-16

कार्यालय आदेश

आगामी मानसून के दौरान पशुओं में सम्भावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रतिवर्ष की भांति रोग प्रतिरोधक टीकाकरण का कार्य समय पर पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में संक्रामक पशु रोगों की रोकथाम के लिए किये जा रहे टीकाकरण कार्य को गति देने हेतु पूरे प्रदेश में दिनांक 01.06.2016 से 30.06.2016 तक **सघन टीकाकरण कार्यक्रम** संचालित किया जावेगा, जिसमें अभियान के रूप में पशुओं में रोग प्रतिरोधक टीकाकरण कार्य सम्पादित किया जावें।

इस टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. प्रत्येक पशुचिकित्सा संस्था में उनके कार्य क्षेत्र में होने वाले विभिन्न पशु रोगों के अद्यतित ऐन्डेमिक चार्ट अनुसार एवं क्षेत्र की आवश्यकतानुसार टीकाकरण कार्य सम्पादित किया जावें। इस सम्बन्ध में जिलास्तर से परिपत्र जारी कर पशु चिकित्सा संस्था प्रभारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किये जावें।
2. जिलों को उनकी मांग के अनुसार विभिन्न टीके उपलब्ध कराये गये है। अतः जिले की माँगानुसार विभिन्न टीकों की पर्याप्त मात्रा अतिरिक्त निदेशक बी.पी.लैब., जयपुर से समयबद्व प्राप्त की जाकर अधिनस्थ संस्थाओं को टीकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। आपातकालीन परिस्थितियों के मद्येनजर टीकों का पर्याप्त रिजर्व स्टॉक जिला स्तर पर भी रखा जावे ।
3. पूर्व मे प्रस्तुत वैक्सीन माँग के अलावा तात्कालिक परिस्थिति एवम् टीका विशेष की आकस्मिक माँग से यथा समय अतिरिक्त निदेशक, बी. पी. लैब. को अवगत कराया जावें एवं व्यक्तिगत सम्पर्क/वार्ता कर इनकी आपूर्ति जिले को करवाना सुनिश्चित करें।
4. टीकों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये इनका भण्डारण एवं वितरण कोल्डचेन संधारित करते हुए सुरक्षित एवम् वैज्ञानिक तरीके से किया जावे। टीकों के भण्डारण, वितरण एवम् उपयोग के सम्बन्ध मे पशुचिकित्सा संस्थाओं एवम् जिला कार्यालय में आवश्यक रिकार्ड संधारण करें।
5. पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशुपालकों की जानकारी हेतु टीकाकरण का उपयुक्त समय तथा परिसेवा–शुल्क के बारे मे सुस्पष्ट अक्षरों में लिखित सूचना लगाई जावे। पशुरोगों से बचाव हेतु टीकाकरण के महत्व सम्बन्धित जानकारी समय–समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न शिविरों/गोष्ठियों/प्रशिक्षणों के माध्यम से पशुपालकों को उपलब्ध कराते हुए टीकाकरण हेतु प्रेरित करें तथा टीकाकरण के सम्बन्ध में पशुपालकों में व्याप्त भ्रान्तियों को समझाईश के द्वारा दूर किया जावे।
6. टीकाकरण कार्य में जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु समाचार पत्र, प्रेस नोट प्रकाशन, पेम्पलेट वितरण तथा दूरदर्शन–आकाशवाणी जैसे संचार माध्यमों का उपयोग किया जावे।
7. टीकाकरण दल के पहुँचने की सूचना सम्बन्धित स्थानीय ग्राम पंचायत एवम् ग्राम/ढाणी के पशुपालकों को समय पूर्व दी जावे।
8. टीकाकरण का समय यथा सम्भव प्रातः एवम् सांयकाल ही रखा जावे तथा एन्डेमिक चार्ट एवं क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार पशुधन का टीकाकरण सुनिश्चित किया जावे। टीकाकरण हेतु वैज्ञानिक तकनीकी/प्रक्रिया अपनायी जावे।
9. टीकाकरण के समय प्रत्येक टीकाकरण कर्मी/दल अपने साथ अवाश्यक औषधियों की पर्याप्त मात्रा रखना सुनिश्चित करेंगे।
10. टीकाकरण अभियान हेतु आवश्यक औषधियां अथवा कन्जूमेबल सामग्री जो कि जिले में उपलब्ध नहीं है, की व्यवस्था पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपातकालीन बजट मद से की जा सकती है।

लगातार.....2.....